

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2008/डी-730

दिनांक: 23/5/2008

विषय:- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 68 वीं बैठक दिनांक 19.05.2008 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में मन्थन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र.सं.	एजेण्डा संख्या	विवरण	निर्णय	अनुपालना
1.	68.1	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 67 वीं बैठक दिनांक 24.04.2008 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा।	बीपीसी (बिल्डिंग प्लान) की 67 वीं बैठक दिनांक 24.04.2008 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं निर्णयों के क्रियान्विती की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।	
2	68.2	भूखण्ड संख्या 7, जवाहर लाल नेहरू मार्ग संस्थानिक क्षेत्र भारतीय हरियाणा गौड ब्राह्मण महासभा के संस्थानिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा।	
3	68.3	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 28, 29, मौजी नगर, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये	

			<p>है।</p> <p>4. भूखण्ड पर एक रेस्टोरेन्ट चल रहा है जिसे निर्माण शुरू होने से पहले तोड़े जाने के उपरान्त ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।</p> <p>5. अतिरिक्त एफएआर शुल्क आदि देय होंगे।</p>	
4	68.4	<p>भूखण्ड संख्या ए-1, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर के व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये हैं। 4. नागरिक उड्डयन विभाग की ऊँचाई बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। 5. संशोधित भवन विनियम में इस क्षेत्र में अधिकतम ऊँचाई 20 मीटर अनुज्ञेय है प्रार्थी द्वारा मानचित्र संशोधित भवन विनियम से पूर्व में प्रस्तुत किये गये हैं अतः 30 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय की जा सकती है अथवा नहीं, राज्य सरकार से इस हेतु स्वीकृति प्राप्त की जावे। 6. प्रार्थी का मूल भूखण्ड 1700 वर्ग मीटर का था लेकिन सडक क्षेत्र में आने वाली भूमि को समर्पित करने के उपरान्त 1443.08 वर्ग मीटर ही रह जाता है। प्रार्थी द्वारा मूल भूखण्ड के अनुसार 2 बेसमेंट प्रस्तावित किये गये हैं जबकि 	

			भवन विनियम 2000 के अनुसार 2 बेसमेंट 1500 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों में ही अनुज्ञेय है अतः इस संबंध में भी राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।
5	68.5	भूखण्ड संख्या 5, इन्द्रा प्लेस, मालवीय नगर, जयपुर के भवन मानचित्र के अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत एजेण्डा में पत्रावली पर की गई कार्यवाही की पुष्टि की गई।</p> <p>इंदिरा प्लेस व्यावसायिक योजना में आवश्यक पार्किंग सडक के Right of way में की जाती है जिससे आवागमन एवं यातायात सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है। जबकि प्रश्नगत भूखण्ड (भूखण्ड संख्या 5) मुख्य रूप से पार्किंग के लिए ही नीलाम किया गया था अतः पार्किंग की व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने के लिए प्रकरण को ट्राफिक कन्ट्रोल बोर्ड को भेजा जावे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पार्किंग चार्ज के संबंध में बीपीसी (बीपी) की बैठक दिनांक 24.04.2008 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पार्किंग शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट ट्राफिक कन्ट्रोल बोर्ड को प्रेषित कर दिया गया है।</p>
6	68.6	भूखण्ड संख्या 4/1/VI, विद्याद्वर नगर, जयपुर में प्रस्तावित गुप हाउसिंग के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा।
7	68.7	भूखण्ड संख्या 4/1/VIII, विद्याद्वर नगर, जयपुर में प्रस्तावित गुप हाउसिंग के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 1. बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। 2. प्रार्थी के भवन मानचित्र अध्यक्ष गुप हाउसिंग के नाम से जारी किये जावे। 	
8	68.8	खसरा नम्बर 98/3, व 98/4, नाहरगढ, आमेर रोड, जयपुर के व्यावसायिक होटल के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु पत्रावली दिनांक 29.02.2008 को प्रस्तुत की गई थी एवं पूर्व भवन विनियम 2000 के अनुसार अधिकतम ऊँचाई 30 मीटर अनुज्ञेय है जबकि संशोधित विनियम में रामगढ रोड जंक्शन से आमेर का घाटी का दरवाजा तक अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर तक सीमित की गई है अतः इस संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे कि आवेदक को पूर्व भवन विनियमानुसार ऊँचाई दी जावे अथवा संशोधित भवन विनियम के अनुसार ऊँचाई अनुज्ञेय की जावे। 2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 3. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 4. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 5. प्रश्नगत भूखण्ड के आस-पास के क्षेत्र में जल महल, कनक वृन्दावन आदि हैरिटेज एरिया होने के कारण क्या प्रश्नगत भूखण्ड पर होटल की अनुमति 	



			दी जावे अथवा नहीं इस हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे क्योंकि वर्तमान में नये संशोधित भवन विनियम लागू हो चुके हैं।
9	68.9	होटल जय महल पैलेस के प्रस्तावित भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। 2. प्रस्तावित भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल 20000 वर्ग मीटर से अधिक है अतः राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 3. विकलांगों हेतु प्रावधान प्रस्तावित मानचित्रों में करवाया जावे। 4. पीछे के सैटबैक में वायलेशन है इसे हटाया जावे एवं एक अतिरिक्त ब्लॉक जो बिना अनुमति के निर्माण किया गया है उसके लिये बिना अनुमति निर्माण शास्ति शुल्क लिया जावे। 5. कौबीनेन्ट के आधार पर राजस्व विभाग से जमाबंदी में स्वामित्व का इन्द्राज सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए करवाया जावे जिसका परीक्षण जोन से भी इन्द्राज होने के उपरान्त करवाया लिया जावे एवं स्वामित्व उचित होने पर ही मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
10	68.10	खसरा नं. 4/374 ग्राम चैनपुरा टोंक रोड़ जयपुर में प्रस्तावित होटल के भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. टेरेस पर प्रस्तावित किये गये स्वीमिंग पूल को अस्वीकृत किया जावे। 2. आवेदक द्वारा पुराने भवन विनियम के

			<p>तहत भवन मानचित्र प्रस्तुत किये गये थे अतः दो ही बेसमेंट अनुज्ञेय किये जावे।</p> <ol style="list-style-type: none"> स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। ऊंचाई बाबत् नागरिक उड्डयन विभाग से अनापत्ति ली जावे। <p>संशोधित मानचित्र आवेदक से लिये जावे एवं नियमानुसार पाये जाने पर पत्रावली पर आयुक्त, जविप्रा से अनुमोदन करवा लिया जावे।</p>
11	68.11	<p>ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर जवाहर सर्किल में मै. एन्टरटेनमेन्ट पैराडाइज के व्यावसायिक के व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्न निर्णय लिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> मौके पर निर्मित फूडकोर्ट एवं अन्य निर्माणों को सर्वप्रथम हटाना होगा। पूर्व में जारी अनापत्ति पत्र में भवन की उंचाई 20 मीटर अनुज्ञेय की थी। वर्तमान में भवन की ऊंचाई 30.0 मीटर+4 मीटर (मशीन रूम सहित) प्रस्तावित की गई है। अतः नगरीय उड्डयन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये जाने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जावे। लोअर व अपर बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि

			<p>भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।</p> <p>6. पर्यटन ईकाई के पैरामीटर्स व्यावसायिक मानते हुए भवन विनियमों के अनुसार ही रखे जावे क्योंकि होटल व्यावसायिक उपयोग के अंतर्गत आता है।</p> <p>7. पीछे की तरफ मल्टीप्लेक्स के भूखण्ड में जाने के लिए इस भूखण्ड में से 24 मीटर Drive Way को स्वीकृत किया जावे।</p> <p>8. साईट प्लान खसरा आधारित है अतः सर्वप्रथम खसरा Superimpose कराया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।</p> <p>उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् ही भवन मानचित्र अनुमोदन पर विचार किया जावेगा।</p>	
12	68.12	भूखण्ड संख्या 6, बसन्त बहार टोंक रोड, जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।	
13	68.13	खसरा नम्बर 207/378, सुशीलपुरा, अजमेर रोड, जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं उपायुक्त जोन द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड के लिए सम्पर्क सडक 40 फीट ही उपलब्ध है। भवन मानचित्र समिति (बीपी) की बैठक दिनांक 29.08.2007 के निर्णयानुसार 14.03.2008 को 60 फीट सडक को दृष्टिगत रखते हुए 24+1.2 मीटर बेसमेंट प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए 25.2 मीटर ऊँचाई के अनुमोदित कर जारी किये जा चुके हैं, क्योंकि स्थल मानचित्र में भूखण्ड के सामने सडक 60'-0" चौड़ी दर्शायी गई है, चूँकि भवन मानचित्र पूर्व में ही अनुमोदित हो चुके हैं इसलिए समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिया जाना आवश्यक है। अतः बीपीसी की आगामी बैठक में प्रार्थी को सुनवाई हेतु बुलाया जावे।</p> <p>उपायुक्त जोन व मुख्य नियंत्रक अधिकारी (प्रवर्तन) द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही जब तक पूर्ण</p>	

			नहीं होती है तब तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो।
14	68.14	खसरा नम्बर 172/88/3, ग्राम बृजलालपुरा न्यू आतिश मार्केट के पास गोपालपुरा जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संशोधित भवन मानचित्र पुराने लागू भवन विनियम 2000 के अनुसार अनुमोदित किये जावें, क्योंकि प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.01.2008 को आवेदन किया गया था। 2. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। 3. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 4. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 5. जोन से स्वामित्व की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही भवन मानचित्र जारी किये जावे।
15	68.15	भूखण्ड संख्या 2 डीपी कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड जयपुर के व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बेसमेंट में व्यावसायिक उपयोग है इसे वातानुकूलित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे।
16	68.16	भूखण्ड संख्या 591-ए निर्माण नगर ए बी जयपुर में प्रस्तावित बैंक/करेन्सी चैस्ट	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन</p>

		ब्रांच के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदक द्वारा भवन को व्यावसायिक उपयोग में नहीं लिया जावेगा। यदि व्यावसायिक उपयोग लिया जाता है तो नियमानुसार भू-उपयोग उपान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण करवायी जाकर भू-रूपान्तरण करवाया जाना आवश्यक होगा। 2. करेन्सी चेस्ट हेतु बैंक का Letter of intend लिया जावे।
17	68.17	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 17 व 17 ए श्रीराम नगर झोटवाडा, कांटा खिरनी फाटक रोड, जयपुर के व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 4. पुनर्गठित भूखण्डों का व्यावसायिक रूपान्तरण किया जा चुका है अतः राज्य सरकार के आदेशानुसार पैरामीटर्स भवन विनियम 2000 के अनुसार रखे जावे एवं अतिरिक्त एफएआर की राशि ली जावे। 5. भवन मानचित्र पुराने लागू भवन विनियम 2000 के अनुसार अनुमोदित किये जावें, क्योंकि प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.02.2008 को आवेदन किया गया था।
18	68.18	खसरा नम्बर 664, ग्राम	प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ

		सिरसी जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 4. पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र मानचित्र जारी किये जाने से पूर्व लिया जावे। 5. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 41.69 मीटर है एवं सैटबैक तालिका 'च' के अनुसार संशोधित विनियमानुसार रखे गये है अतः संशोधित विनियम राज्य पत्र में प्रकाशन उपरान्त ही मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें। 6. ऊँचाई बाबत् नागरिक उड्डयन विभाग से अनापत्ति ली जावे।
19	68.19	माती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना हनुमान नगर ए भूखण्ड संख्या ए-19 व ए-31 का वाणिज्यिक पुनर्गठन हेतु।	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित पैरामीटर्स के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <p>फ्रन्ट 160' सडक की ओर 30'-0'' साईड-1 10' सडक की ओर 20'-0'' साईड-2 सडक की ओर 15'-0'' पीछे 30' सडक की ओर 20'-0''</p> <p>अधिकतम आच्छादन सैटबैक के अन्दर एफएआर 2.00 शुल्क सहित</p>

			<p>अधिकतम ऊँचाई 15.0 मीटर</p> <p>अन्य पैरामीटर्स भवनविनियम 2000 के अनुसार होंगे।</p> <p>* टंकण त्रुटि से एजेण्डा में एफएआर 1.75 अंकित है परन्तु क्योंकि भूखण्ड अनुसूची 3 से बाहर है अतः शुल्क सहित 2.00 एफएआर अनुज्ञेय किया जावे।</p>	
20	68.20	<p>प्रस्तावित भूखण्ड संख्या जी-2 कनक वृन्दावन के आवासीय फ्लेट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 4. 30 फीट चौड़ी सड़क पर कोई भी प्रवेश या निकास द्वार अनुज्ञेय नहीं किया जावे। 5. संशोधित विनियमों का गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही भवन मानचित्र जारी किये जावे। 6. ऊँचाई बाबत् नागरिक उड्डयन विभाग से अनापत्ति ली जावे। 	
21	68.21	<p>पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 37 व 38 राठौड नगर, क्वीन्स रोड, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वर्षा जल संग्रहण एवं सौर ऊर्जा उपकरण के प्रावधान प्रस्तावित भवन में 	


			किये जाने हेतु अपडरटेकिंग ली जावे।	
22	68.22	भूखण्ड संख्या 64, स्कीम नम्बर 8, महाराजा गोपालपुरा आदित्य विहार, गांधी पथ के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श के दौरान प्रार्थी को सुना गया एवं यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित की जावे जो मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी जिसके अनुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्री वीरू सिंह राठौड माननीय विधायक 2. श्री कन्हैया लाल मीणा माननीय विधायक 3. निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर। 4. अति. आयुक्त (पश्चिम) जविप्रा, जयपुर। 	
23	68.23	खसरा नम्बर 156, 159, 160 एवं 161 ग्राम रामनगरिया जयपुर में प्रस्तावित फार्मसी ब्लॉक व कन्या छात्रावास के भवन मानचित्र अनुमोदन के संबंध में।	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बिना अनुमति निर्माण की शास्ति नियमानुसार ली जावे। 2. साईड सैटबैक में जो स्टोर व अस्थायी टिन शैड निर्मित है उसे हटाए जाने हेतु अपडरटेकिंग ली जाए कि प्रार्थी निर्माण के पश्चात् यह अस्थाई निर्माण हटा लेगा। 3. उक्त प्रकरण कोलेज हेतु है जिसमें करीब 2500 छात्र हैं अतः दो गार्ड हेतु रूम का होना आवश्यक है। अतः 12.23 वर्ग मीटर का गार्ड रूम अनुज्ञेय किया जावे 4. फ्रन्ट सैटबैक में ट्रान्सफार्मर एवं जनरेटर रूम व इलेक्ट्रिक पैनल राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि. के पत्र के अनुसार यह स्थान उपयुक्त बताया गया है अतः इन्हें अनुज्ञेय किया जावे। 5. समिति द्वारा यह भी देखा गया कि प्रायः एटीएम काउन्टर फ्रन्ट सैटबैक में सडक 	

			<p>पर ही बनाये जाते हैं अतः फ्रन्ट सैटबैक में एटीएम काउण्टर अनुज्ञेय किया जावे।</p> <p>6. गार्ड रूम व एटीएम को इसी शर्त के साथ ही अनुज्ञेय किया जाता है कि प्रार्थी यह अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करें कि जब कभी सडक का विस्तार किया जावेगा तो वह इस निर्माण को हटा लेंगे।</p>	
24	68.24	<p>भूखण्ड संख्या 2, खो-नागोरियान रोड, जयपुर में मोटल के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सामने के सैटबैक में तथा पीछे के सैटबैक में बेसमेंट में रूमस प्रस्तावित किये गये है जिनके वातायन हेतु खुला क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है इसे स्वीकृत किया गया। 2. वास्तुविद की अण्डरटेकिंग ली जावे। 3. सौर ऊर्जा उपकरण का प्रस्ताव मानचित्रों में करवाया जावे। 4. जोन द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार बकाया राशि ली जाए। 	
25	68.25	<p>खसरा नं. 174 व 175 ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, जयपुर के ग्रुप हाउसिंग के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 	

			<p>3. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।</p> <p>4. प्रस्तावित भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल 20000 वर्ग मीटर से अधिक है अतः राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे।</p> <p>5. नोन कन्सट्रक्सन ऐरिया (गैस पाईप लाईन व सर्विस रोड) के क्षेत्र को हरा-भरा करने हेतु प्रार्थी को ऑयल कम्पनी की शर्तों के अध्याधीन पूर्व बीपीसी बैठक दिनांक 22.05.2007 के निर्णयानुसार अनुज्ञेय किया गया है। परन्तु इसका स्वामित्व जविप्रा/ऑयल कम्पनी का ही रहेगा।</p>	
26	68.26	<p>खसरा नम्बर 512/1 एवं 513, ग्राम जयसिंहपुरा, भांकरोटा जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लेट्स के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p>	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 4. जोन से स्वामित्व की रिपोर्ट आने के पश्चात् ही भवन मानचित्र जारी किये जावे। 	
27	68.27	<p>टोंक रोड पर स्थित रेलवे</p>	<p>नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार</p>	

		<p>ऑवर ब्रिज से अजमेरी गेट तक के यातायात की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एफएआर के संबंध में।</p>	<p>द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू लिये जाने तथा बीआरटीएस के प्रस्तावों को मद्देनजर रखते हुए व्यस्ततम सडकों पर एफएआर की योजना बनाकर प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस संदर्भ में विचार-विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि एक समिति का गठन किया जावे जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर अध्यक्ष 2. अति. आयुक्त (भूमि व बीआरटीएस) सदस्य 3. पुलिस अधीक्षक (यातायात), जयपुर सदस्य 4. निदेशक (अभियंत्रिकी), जविप्रा, जयपुर सदस्य <p>जब तक उपरोक्त समिति द्वारा रिपोर्ट नहीं दी जाती तब तक टोंक रोड पर अजमेरी गेट से रेल्वे ऑवर ब्रिज तक किसी भी प्रकार के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जावे।</p>	
28	68.28	<p>सर्वोत्तम बिल्डहोम प्रा.लि. के खसरा नम्बर 307, दुग्गड गार्डन के व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया कि टोंक रोड पर अजमेरी गेट से रेल्वे ऑवर ब्रिज तक यातायात की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एवं बीआरटीएस के प्रस्तावों को भी दृष्टिगत रखते हुए एक समिति का गठन किया गया है। जब तक समिति द्वारा रिपोर्ट नहीं दी जाती तब प्रकरण को स्थगित रखा जावे।</p>	
29	68.29	<p>भूखण्ड संख्या एस-4, फतेहसिंह की धर्मशाला, स्टेशन रोड, जयपुर के व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p>	

			<ol style="list-style-type: none">1. टेरेस फ्लोर पर प्रस्तावित कॉफी लॉज व कान्फ्रेंस हाल की अनुमति देय नहीं होगी।2. आवेदक द्वारा भवन की उंचाई 33.15 मीटर प्रस्तावित की गई है जिसमें स्टिल्ट व बेसमेन्ट प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुये विनियमानुसार छूट 1.2 +2.8 मीटर कुल 4 मीटर छूट दिये जाते हुये प्रस्ताव दिया गया, जबकि सैटबैक जारी स्थल मानचित्र के अनुरूप ही रखे गये हैं। प्रश्नगत भूखण्ड नीलामी से जविप्रा द्वारा बेचान किया गया है। जिसमें अधिकतम उंचाई 30 मीटर उल्लेखित है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित भवन मानचित्रों में आर्किटेक्चरल फीचर रखते हुये भवन की कुल उंचाई 52.20 मीटर रखी गई है। भवन विनियम में आर्किटेक्चरल फीचर के सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश नहीं हैं। अतः भवन की अधिकतम उंचाई 33.15 एवं आर्किटेक्चरल फीचर सहित उंचाई 52.20 मीटर हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।3. भवन विनियम 2000 में एफएआर से छूट (कोरीडोर, स्टेयरकेस, व लिफ्ट आदि) की सीमा निर्धारित नहीं है अतः आवेदक से यह अण्डरटेकिंग ली जावे कि कोरीडोर, स्टेयरकेस, व लिफ्ट आदि के क्षेत्र का अन्य कोई व्यावसायिक उपयोग भविष्य में नहीं किया जावेगा।4. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा।5. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा।6. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद	
--	--	--	---	--



			<p>से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।</p> <p>7. आवेदक को नीलामी के अनुसार 30 मीटर अधिकतम ऊँचाई के मानचित्र स्वीकृत कर जारी किये जावे।</p> <p>8. ऊँचाई बाबत् नागरिक उड्डयन विभाग से अनापत्ति ली जावे।</p>	
30	68.30	<p>पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 79-80, माथुर वैश्य नगर-द्वितीय, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 3. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 4. प्रार्थी द्वारा मौके पर C.W बनाकर टोक रोड की भूमि पर कब्जा कर रखा है। अतः मानचित्र जारी करने से पूर्व जोन द्वारा टोक रोड के अन्तर्गत आने वाले भू-भाग का कब्जा प्राप्त किया जावे तत्पश्चात् ही मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे। 5. प्रार्थी द्वारा मेकेनिकल पार्किंग आगन्तुक पार्किंग से अधिक दर्शायी है। अतः पार्किंग संशोधित करवाई जावे। 6. भूखण्ड का भू-उपयोग परितर्वन किया जा चुका है अतः राज्य सरकार के आदेश अनुसार अतिरिक्त एफएआर की 	

			राशि लिये जाकर व्यावसायिक पैरामीटर्स भवन विनियम 2000 के अनुसार अनुज्ञेय किये जावे।
31	68.31	निजी खातेदार की व्यावसायिक रूपान्तरित भूमि खसरा नम्बर 123, 262, 263, 264, 265, ग्राम बृजलालपुरा व देवरी एवं व्यावसायिक रूपान्तरित भूखण्ड संख्या एस एम-13 (14,58), (15,57), (16, 56), (17,55), (17ए), (18,54), (19,53), (20,52), (21,51), (22,50), (59ए, 60, 61) के पुनर्गठन मानचित्र अनुमोदन के संबंध में।	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा व्यावसायिक पुनर्गठन निम्न पैरामीटर्स के साथ अनुमोदित किया जावे:-</p> <p>सैटबैक</p> <p>सामने 18 मीटर</p> <p>पार्श्व-1 तालिका "च" के अनुसार</p> <p>पार्श्व-2 तालिका "च" के अनुसार</p> <p>पीछे तालिका "च" के अनुसार</p> <p>अधिकतम आच्छादन 35 प्रतिशत</p> <p>एफएआर 2.0 (अनुसूची 3 से बाहर होने के कारण) शुल्क सहित</p> <p>ऊँचाई विनियम 8.11 के अनुसार</p> <p>पार्किंग व अन्य मापदण्ड विनियमानुसार लागू होंगे।</p> <p>1. प्रकरण 1500 वर्ग मीटर से अधिक का है अतः राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।</p> <p>2. मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति के पुनर्गठित भूखण्डों में एफएआर 1.2 भवन विनियमानुसार अनुज्ञेय है जबकि व्यावसायिक उपयोग हेतु पुनर्गठित भूखण्डों में एफएआर शुल्क सहित भवन विनियम 2000 के प्रावधानुसार देय है। अतः केवल पुनर्गठित आवासीय भूखण्ड जिनका क्षेत्रफल 6449.53 वर्ग गज है के लिए अतिरिक्त एफएआर शुल्क लिया जावे।</p>
32	68.32	निजी खातेदार की व्यावसायिक रूपान्तरित भूमि खसरा नम्बर 123, 262, 263, 264, 265, ग्राम बृजलालपुरा व देवरी एवं	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पुनर्गठन का प्रकरण समिति के समक्ष इस ही बैठक में प्रस्तुत किया गया है एवं</p>


		व्यावसायिक रूपान्तरित भूखण्ड संख्या एस एम-13 (14,58), (15,57), (16, 56), (17,55), (17ए), (18,54), (19,53), (20,52), (21,51), (22,50), (59ए, 60, 61) के पुनर्गठन उपरान्त मानचित्र अनुमोदन के संबंध में।	व्यावसायिक पुनर्गठन के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है अतः सर्वप्रथम राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
33	68.33	भूखण्ड संख्या 6-ए, स्वेज फार्म योजना न्यू सांगानेर रोड के व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना होगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना होगा। 3. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 4. भवन विनियम 2000 में एफएआर से छूट (कोरीडोर, स्टेयरकेस, व लिफ्ट आदि) की सीमा निर्धारित नहीं है अतः आवेदक से यह अण्डरटेकिंग ली जावे कि कोरीडोर, स्टेयरकेस, व लिफ्ट आदि के क्षेत्र का अन्य कोई व्यावसायिक उपयोग भविष्य में नहीं किया जावेगा।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओं पर भी विचार विमर्श किया गया:-			
34	68.34	भूखण्ड संख्या 236 व डी 237 के व्यावसायिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ संशाधित भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जावे। 2. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावे। 3. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है। 	
35	68.35	<p>वैशाली नगर योजना में आम्रपाली सर्किल पर ब्लॉक सी मे सांस्थानिक भूखण्ड दैनिक नवज्योति के भवन मानचित्र नियमबद्ध अनुमोदन बाबत्।</p>	<p>प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् समिति द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ संशाधित भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आवेदक से प्रेस भवन के लिए मानचित्र संशोधित करवाया जावे तथा पूर्व में जारी किये गये आदेशों के अनुसार केवल 40 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्र में ऑफिसेज के रूप में प्रस्तावित किये जावे। 2. दोनों 80'-0" चौड़ी सडकों में सामने के सैटबैक में बेसमेंट को सैटबैक क्षेत्र में निर्मित किया गया है जो कि सैटबैक वायलेशन है एवं भवन नियमितिकरण नियमबद्धता नियम 1989 के अनुसार नियमबद्ध योग्य है। जिसे नियमानुसार शास्ति सहित नियमबद्ध किया जावे। 3. मानचित्रों में मौके के अनुसार संशोधन करवाया जावे। 4. आच्छादित क्षेत्रफल अनुज्ञेय 35 प्रतिशत अनुज्ञेय है अतः अनुज्ञेय सीमा तक संशोधित करवाया जाना होगा। 5. वर्षा जल संग्रहण का प्रावधान करवाया जावे। 6. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेंट पर प्रस्तावित 	



			<p>पार्किंग को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करवाया जाना जावे।</p> <p>7. प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना जावे।</p> <p>8. प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का है अतः प्रार्थी एवं वास्तुविद से यह शपथपत्र भी लिया जावे कि भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखे गये है।</p>	
36	68.36	रोचीज हॉटल प्रा.लि. टोंक रोड के भवन मानचित्र बाबत।	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 3(230)नविवि/3/2008 दिनांक 06.05.2008 के अनुसरण में जविप्रा स्तर पर की गई कार्यवाही की पुष्टि की गई।	

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



 23/5/08
 सदस्य सचिव
 भवन मानचित्र समिति(बीपी)
 जविप्रा, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 68 वीं बैठक दिनांक 19.05.2008 को मध्याह्न पश्चात् 03.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

1. श्री डी.बी. गुप्ता, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष
2. माननीय श्री वीरू सिंह राठोड, विधायक	सदस्य
3. श्री आर. एन. मीणा, सचिव, जविप्रा, जयपुर	सदस्य
4. श्री शंशाक महागांवकर, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर	सदस्य
5. श्री नरेश कुमार शर्मा, अति. आयुक्त (एल.पी.सी), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
6. श्री बी. के. दोसी, अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर	सदस्य
7. श्री हरि शंकर भारद्वाज, अति. आयुक्त (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
8. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) जविप्रा, जयपुर	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित :-

1. श्री राजेन्द्र सिंह राठोड, उपायुक्त जोन-1, जविप्रा जयपुर।
2. श्री सुखवीर सिंह सैनी, उपायुक्त जोन-2, जविप्रा जयपुर।
3. श्रीमती प्रीति माथुर,, उपायुक्त जोन-4, जविप्रा जयपुर।
4. श्री इकबाल खान, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा जयपुर।
5. श्री वासुदेव शर्मा, उपायुक्त जोन-6 जविप्रा जयपुर।
6. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा जयपुर।
7. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक, बीपीसी (बीपी) जविप्रा, जयपुर।
8. श्री हीरा लाल, उप नगर नियोजक, जोन-4, जविप्रा, जयपुर।



23/5/08
सदस्य सचिव(बीपीसी)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2008/डी-730

दिनांक 23/5/2008

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय श्री वीरू सिंह राठोड, विधायक
3. माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति.आयुक्त, पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि, जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त जोन-....., जविप्रा, जयपुर।
10. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।


23/5/08
सदस्य सचिव(बीपीसी)
जविप्रा, जयपुर।